बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

–: आदेश :–

संख्या–09 / पद0–05–07 / 2022, सा0प्र0 20009 पटना–15, दिनांक– 2.11., 2026

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के आदेश संख्या–12183, दिनांक–08.07.2026 द्वारा बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक, राज्य आयुक्त निःशक्तता(दिव्यांगजन का कार्यालय) समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना को माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार सिन्हा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना की अध्यक्षता में गठित एकल सदस्यीय न्यायिक जाँच आयोग, गृह विभाग, बिहार, पटना में प्रतिनियुक्ति किया गया है।

कार्यहित में आदेश संख्या–12183, दिनांक–08.07.2026 द्वारा श्री मुकेश कुमार, निजी सहायक, राज्य आयुक्त निःशक्तता(दिव्यांगजन का कार्यालय) समाज कल्याण विभाग बिहार, पटना की प्रतिनियुक्ति को रद्द किया जाता है।

2. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

02/11/26

(राज किशोर तिवारी)
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः–09 / पद0–05–07 / 2022, सा0प्र0 20009 पटना–15, दिनांक– 2.11., 2026

प्रतिलिपिः– प्रतिलिपिः–सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना / राज्य आयुक्त निःशक्तता (दिव्यांगजन का कार्यालय) समाज कल्याण विभाग / अध्यक्ष, बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग, पटना / संबंधित कर्मी एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

02/11/26

सरकार के अवर सचिव।